उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

11

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

बेचु भोगता वगै0
बनाम
बिरसा साहु वगै0

आदेश फलक तारीख............से..............तक।जिला – गुमला

वाद सं0 :– 08/**2016–17**

वाद का प्रकार :– म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)

अपीथार्ली बेचु भेगता वो जतरु भोगता पिता–स्व0 बुधु भोगता बुधु साहु पिता–स्व0 चैतु साहु एवं नेतु साहु पिता–स्व0 बुधु साहु सभी ग्राम–गुरमा थाना–पालकोट जिला–गुमला के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गुमला के दाखिल खारीज अपील वाद संख्या–01/2012–13 में दिनांक–05.02.2016 के पारित आदेश, से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि अपीलार्थी के द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय में एक स्वत्व वाद सं0–12/2002 उत्तरवादीगण के विरुद्ध दायर किया गया था, जिसमें दोनो पक्षो के बीच भूमि को लेकर समझौता नामा दाखिल किया गया परन्तु आपसी समढौता के आधार पर दिये दाखिल खारिज आवेदन को अंचल अधिकारी पालकोट के द्वारा खारिज किया जाना न्यायसंगत नही है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि मौजा गुडमा थाना–पालकोट जिला–गुमला में अवस्थित खाता नं0–57 के खतियानी रैयत खुईया अहीर, डोभा अहीर वो डहरु अहीर पिता–मंगना अहीर थे तथा खुईया अहीर एवं डोभा अहीर नावल्द मृत हो गए सिर्फ डहरु अहीर जीवित थे तथा उनका एक मात्र पुत्री चामीन अहीरीन है जिसे अपने पिता डहरु अहीर से बक्सीसनामा पट्टा सं0–440/1973 में 3.89 एकड जमीन लिख दिए। भूमि क्रय करने के बाद बिरसा साहु वगै0 नामानतरण कराकर जमीन पर दखलकार हुए।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी बतलाया गया कि विवादित भूमि पर पूर्व में ही उपायुक्त गुमला के न्यायालय में निर्णय हो चुका है। पुनः इसी न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन दायर करना विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अतः अपीलार्थी के द्वारा दायर म्यूटेशन रिवीजन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा साक्ष्य के रुप में निम्नलिखित दस्तावेज की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

1. उपायुक्त गुमला के न्यायालय में दायर रिवीजन अपील नं0–55(आर) 15/2000 की आदेश की छाया प्रति।
2. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में दायर म्यूटेशन अपील 20/1997–98 की आदेश की छाया प्रति।

अतः उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के द्वारा दिये गये तर्क एवं उत्तरवादी के द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्व में ही विवादित भूमि पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समान पक्षों के बीच निर्णय हो चुका है जो Resjudicata का मामला है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपीलार्थी के द्वारा दायर म्यूटेशन रिवीजन वाद को निरस्त किया जाता है।

कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.11.23 17:35:35 +05:30
Location: 192.168.5.106

18.03.22
उपायुक्त,
गुमला

18.03.22
उपायुक्त,
गुमला

Scanned with OKEN Scanner